

प्रश्न सं. [क. 5614]

परिशिष्ट-1

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 5614 द्वारा श्री ब्रह्मा भलावी

क्र.	ग्राम का नाम	सर्व डिमांडेशन स्कीम अनुसार संरक्षित वन सर्वे में शामिल		सर्व डिमांडेशन स्कीम अनुसार वनखंड में शामिल		म.प्र शासन वन विभाग के अर्थ.शास. पत्र क्र. / 14470 / 10 / 65 दि. 23.10. 1965 के तहत अधिक अन्न उपचार योजना के तहत राजस्व विभाग को अंतरित रकमा है में	म.प्र शासन वन विभाग के अर्थ.शास. पत्र क्र. / 1705 / 10 / 71 दि. 02.04.1971 के तहत कृषि योग्य भूमि के तहत अंतरित रकमा है में	15 सितम्बर 1972 को डीनोटीफाई ड ग्राम	31.12.1976 तक के कारिजो के लिये डीनोटीफाईड रकमा है में	प्रचलित कार्य आयोजना में शामिल भूमि का रकबा है में	रिमांक
		रकबा (एकड़ में)	रकबा (हे. में)	रकबा (एकड़ में)	रकबा (हे. में)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सोनावाटी	969.75	392.445	856.50	346.614	-	76.23	-	-	392.828	15 सितम्बर 1972 को राजपत्र में प्रकाशित अभिसूचना में ग्राम के नाम के समक्ष खसरा एवं रकबा का उल्लेख नहीं है।
2	टिकारी	520.77	210.748	225.81	91.382	0.000	60.70	टिकारी	-	184.833	
3	झगडिया	-	-	-	-	-	-	झगडिया	-	164.005	
4	कटगी	1189.52	481.382	245.400	99.310	111.29	200.43	-	6.280	99.310	
5	डुल्लारा	1872.09	757.609	0.000	0.000	141.64	0.000	डुल्लारा	93.058	0.000	
6	सिवनपाट	1040.42	421.044	143.65	58.133	66.77	109.30	-	16.579	58.133	

अनुमाना अधिकारी
भक्ष्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्षा 3)
यंत्रालय, भोपाल


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं पदेन वन संरक्षक
वनवृत्त बैतूल

पत्रिका क्र. २६१५ अतः १९९१ - २०२१ ३०२३९ 'ए' अतः ०१ ५११९०८-२१

Item no. 311
TA No. 2619-2021
FOR IMPLEMENTATION
OFFICIAL TRANSPORTATION
DIRECTION AND EXEMPTION FROM FILING

A prayer has been made in these applications to declare the area denotified by Gazette Notification dated 03rd January 1980 issued by the Government of Madhya Pradesh including compartment Nos. 385-386 on which the construction activity is being undertaken as not part of forest land for the purpose of Forest Act and the Forest (Conservation) Act. Report dated 17th February, 2010 has recommended that the area has been de-notified under Section 2 of the Forest (Conservation) Act by the State of Madhya Pradesh and as the State of Madhya Pradesh

well as the Ministry of Environment and Forests, Union of India have taken a stand that the provisions of Forest (Conservation) Act are not applicable to the said area of 342-143 in District compartment Nos. 385-386 (re-numbered as 342-143) in District. We declare that the aforesaid de-notified area be treated as non-forest for the purpose of Forest (Conservation) Act, 1980. The interlocutory applications are approved to the extent of the aforesaid area as recommended by the Central Empowered Committee.


अनुमति अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग (कां 3)
भारत, भोपाल